संख्या– /15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड ।

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2** देहरादूनः दिनांक 23 **सितम्बर, 2015**

**विषयः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हकदार परिवारों के अतिरिक्त राज्य की अवशेष आबादी को उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना से आच्छादित कर खाद्यान्न आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अर्न्तगत राज्य की 61.94 लाख जनसंख्या हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खाद्यान्न का आवंटन निर्गत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त जनसंख्या के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य की अवशेष आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना को दिनांक 01.10.2015 से लागू करते हुये इस योजना से आच्छादित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य की अवशेष आबादी (लगभग 66 लाख) में से ऐसे परिवारों, जिनकी आय ₹ 5.00 लाख वार्षिक या उससे अधिक हो अथवा आयकर दाता हों, को इस योजना से पृथक कर राज्य खाद्य योजना के राशनकार्ड निर्गत करते हुये 15.00 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रतिकार्ड/प्रतिमाह (10 कि0ग्रा0 चावल ₹ 9.00 प्रति कि0ग्रा0 एवं 5 किग्रा0 गेहूँ ₹ 5.00 प्रतिकिग्रा0 की दर से) उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. भारत सरकार से Tide Over Allocation के अर्न्तगत केन्द्रीय निगर्मन दरों पर आवंटित खाद्यान्न(5669.40 मी0टन गेहूँ एवं 2792.40 मी0टन चावल प्रतिमाह) में प्रतिमाह कम पड रही 10418 मी0टन चावल की मात्रा का क्रय राज्य में कार्यरत चावल मिलर्स से किया जायेगा।

**क्रमशः....2 पर**

4. उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के अर्न्तगत तत्काल राशनकार्डो का डिजिटाइजेशन एक अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।

5. उच्च वर्ग की आबादी को उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना से पृथक करने हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों जैसे आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादी में उपलब्ध डाटा बेस का भी प्रयोग किया जाए, ताकि आय का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

**संख्या– 420 (i)/15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I तद्दिनॉक**

**प्रतिलिपिः–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, सहारानपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल/कुमॉयू मण्डल, पौडी/नैनीताल ।
4– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड शासन ।
5– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
8– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
12– मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
13– उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
14– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी(खाद्य), गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,देहरादून/हल्द्वानी ।
16– उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौडी/हल्द्वानी/उधमसिंह नगर ।
17– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन ।
18– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।